

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/265/2022.लखनऊ:दि0::फरवरी, 16 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-113/2022 दिनांक 13.01.2022 द्वारा मुख्यालय पर लम्बित पूर्ण पीठ वादों के निस्तारण हेतु पूर्ण पीठ का गठन किया गया था।

स्वास्थ्य कारणों से मेरे अवकाश पर होने के कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मेरे स्थान पर श्री बुद्धेशमणि, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद को नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/16.02.2022
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/265/2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3 लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद।
3. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या-वा0क0अधि0/परिपत्र/266/2022 दिनांक: 17 फरवरी, 2022

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

निर्देशानुसार अवगत कराना है कि मा0 अध्यक्ष महोदय की समस्त सदस्यों के साथ दिनांक 17.02.2022 को अपराह्न 02.30 बजे नियत वचुर्अल मीटिंग निरस्त की जाती है।

ह0/ 17.02.2022


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- पत्रांक एवं दिनांक तद्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय
3. मुन्सरिम/नाजिर मुख्यालय।
4. वेबअधिकारी, मुख्यालय लखनऊ।



प्रशासनिक अधिकारी
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।